Dainik Bhaskar 29 Aug 2022

स्टडी • पीयू के डीएसटी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की स्टडी को जनरल ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मिली जगह

55% ने नॉन वर्किंग पेटेंट का एक सा कारण बताया

मनु ओमिंदर सिंह | चंडीगढ़

'पेटेंट के कमर्शियलाइजेशन के लिए प्रयास किए गए लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।' इंडियन पेटेंट ऑफिस में फाइल किए गए फॉर्म 27 में यही इस बार सबसे बड़ा कारण निकला है। यह फॉर्म जानकारी देने के लिए जमा कराया जाता है कि पेटेंट की गई तकनीक का उपयोग हो रहा है या नहीं।

साल 2010-12 के बीच जो कारण बताए गए उसमें 40% लोगों ने ये जवाब दिया था कि लैब के स्तर पर काम है और फिलहाल इसमें ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। वहीं कमर्शियलाइजेशन ना कर पाने का कारण सिर्फ 7% इंस्टीट्यूट ने बताया था। लेकिन, 2018 में सबसे बड़ा कारण यही है। 2014 से लेकर 2018 तक इसे ही सबसे ज्यादा पेटेंट धारकों ने कारण बताया है। यह नतीजा है पंजाब यूनिवर्सिटी के डीएसटी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की स्टडी का। ममता भारद्वाज और अमनदीप संधू की रिसर्च 'सिग्निफिकेंट एंड फैक्टर हैंपरिंग पेटेंट कमर्शियलाइजेशन इन इंडिया' को जनरल ऑफ इंटेलेक्चुअल

ममता भारद्वाज

अमनदीप संधू

प्रॉपर्टी राइट्स के लेटेस्ट अंक में जगह मिली है। दोनों रिसर्चर ने सभी पेटेंट धारकों के फॉर्म की स्टडी कर 1-1 का कारण पढ़ा कि तकनीक के उपयोग में ना होने की वजह क्या है? 2012 में 13% फॉर्म में तो इसका कारण ही नहीं बताया गया था। उस समय फॉर्म 27 देने वाले पेटेंट धारकों की संख्या भी काफी कम थी। 2012 में सिर्फ 09 लोगों ने फॉर्म जमा कराए थे जो 2013 में ही 602 हो गए। वर्ष 2018 में 55% पेटेंट धारकों ने जवाब दिया कि कमर्शियलाइजेशन की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि कई ने लिखा टेक्नोलॉजी का बेहतर वर्जन मार्केट में आ गया था, मार्केटिंग की सपोर्ट नहीं मिली, सुविधाएं नहीं थी और कुछ तकनीकों के लिए सेंट्रल कमेटियों की अप्रूवल की जरूरत थी।

कॉमन कारण जो फॉर्म में % में बताए गए हैं...

फॉर्म में बताए कारण	2010-12	2013	2014	2015	2016	2017	2018
कमर्शियलाइजेशन का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली	29%	32%	21%	35%	33%	36%	55%
पोटेंशियल क्लाइंट की तलाश में हैं	4%	9%	11%	9%	10%	9%	16%
अखबार में विज्ञापन या प्रचार किया है	13%	7%	6%	5%	2%	5%	12%
लैब स्तर का काम है ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है	46%	16%	17%	16%	12%	12%	7%
कमर्शियलाइजेशन के लिए डिस्कशन जारी हैं	4%	7%	10%	8%	7%	6%	4%
शायद यह भविष्य में काम आए	2%	7%	7%	6%	4%	3%	-
कोई कारण फॉर्म-27 में नहीं दिया गया	13%	26%	24%	17%	22%	19%	2%

• यह कारण भी बताए गए जो कुछ अलग थे...

- ग्रामीण इलाके में मार्केटिंग चेन की कमी के कारण पेटेंट का लाइसेंस नहीं दिया जा सका और इसके प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन डिस्ट्रिक इंडस्ट्री सेंटर प्रोग्राम के तहत चल रहा है
- तकनीक को कमर्शियलाइज करने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत थी लेकिन समय लिमिटेड था और फंड की कमी के कारण काम लगातार जारी नहीं रह पाया
- जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है इसलिए कमर्शियलाईजेशन संभव नहीं
- हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए एनिमल मॉडल इंडिया में मौजूद नहीं है और कमर्शियलाईजेशन से पहले इसकी एनिमल टेस्टिंग जरूरी है। अब डीबीटी की मदद से भी देश की कंपनी से एमओयू हुआ है और आगामी नतीजे कमर्शियलाईजेशन में मदद करेंगे
- काला अजर गरीब लोगों की बीमारी है और ज्यादातर बिहार के इलाकों में अफेक्ट करती है जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड एरिया है और कंपनियां इसके लाइसेंस को लेने में झिझकती है

फॉर्म 27 क्यों है जरूरी...

पेटेंट एक्ट 1970 के तहत " खोज का उपयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन" के लिए होना चाहिए। पेटेंट राइट का अधिकार सिर्फ मनोपली के लिए नहीं बल्कि देश की सामाजिक और इकोनॉमिक उपयोग का होना चाहिए। इसीलिए हर पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि मार्च में वह फॉर्म 27 इंडियन पेटेंट ऑफिस में जमा कराए।